

प्र.सं. :- 28/2025

कानून/ मुमि अर्वाहि
अधिकारी

Not Press
in case
of...
(Bhim Singh)

15/04/2026

पत्रबली पैरा हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ओबेडिएन्स पर NOT PRESS
का अंजन करते हुए प्रकरण NOT PRESS में
शरित किया जाने का निवेदन किया गया।
प्रार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया गया
है यह प्रकरण प्र. पत्र अंतर्गत धारा 24 सी. पी. सी
NOT PRESS में शरित किया जाने के अलावा किये
जते हैं। पत्रबली फंसल नुमर होकर नंबर से
काम हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

[Faint, illegible text and stamps at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]